लेखा · योग

संस्थाओं का नियमन (राजस्थान से तमिलनाडु तक) ८२अङ्क-अगस्त '०२ (फरवरी '०३ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

राजस्थान	१
सिक्किम	२
तमिलनाडु	२

इस अंक के लिए शोध करते समय प्रत्येक राज्य से नवीनतम संशोधित अधिनियम प्राप्त करना बडा कठिन सिद्ध हुआ है। अतः कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व कृपया इस अंक में दी गई जानकारी की पुनः पुष्टि कर लें।

राजस्थान

[राजस्थान संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १९५८ (Rajasthan Societies Registration Adhiniyam, 1958)]

पञ्जीकरण- पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने संगम-ज्ञापन[१] तथा नियम-विनियम[२] की प्रमाणित प्रतिलिपि (५० रुपये शुल्क के साथ) संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी[३] के पास जमा करवानी होंगी (धारा-३)।

परिवर्तन- आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी दूसरी संस्था के साथ विलय कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महानिकाय[४] के सदस्यों की दो गोष्ठियों का आयोजन एक माह के अन्तराल पर करना होगा। इस परिवर्तन को लागू करने के लिए कम से कम दो-तिहाई (६६ %) सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है (धारा-१२)।

[१] मैमोरैण्डम आफ एसोसिएशन
[२] रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स
[३] हमें स्थान की जानकारी नहीं है।
[४] जनरल बॉडी

आप संस्था का नाम भी परिवर्तित कर सकते हैं। परन्तु इसके लिए विशेष महासभा[५] में एक प्रस्ताव द्वारा संस्था के सदस्यों में से दो-तिहाई (६६ %) सदस्यों की सहमति अनिवार्य है (धारा-१२ए)। संस्था के नाम में परिवर्तन, प्रस्ताव पारित करने के १५ दिनों के अन्दर पञ्जिकाधिकारी के पास भेजी जानी[६] चाहिए (धारा-१२बी)।

संस्था के नियम-विनियम में किये गये किसी भी परिवर्तन की प्रतिलिपि, परिवर्तन करने के १५ दिनों के अन्दर पञ्जिकाधिकारी के पास भेजी जानी चाहिए (धारा-४ए)।

शासी-निकाय की सदस्य सूची- यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महासभा होने के १४ दिनों के अन्दर, संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। यदि महासभा नहीं होता, तो इस सूची को जनवरी में जमा करवाएँ। शासी-निकाय[७] में हुए परिवर्तन को एक विवरण में दिखाते हुए, इस सूची के साथ पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करना चाहिए (धारा-४ए)।

खाता सम्बन्धी प्रावधान- राजस्थान में खातों से सम्बन्धित कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

विघटन- यदि एक विशेष सभा में महानिकाय के दो-तिहाई (६६ %) सदस्य समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है (धारा-१३)। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, योगदान, या अभिरूचि है, अथवा सरकार संस्था से सम्बद्ध है तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

किन्तु, सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित कर सकती है, और ना ही संस्था को अपने अधिकार में कर सकती है।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा- विघटन के समय किसी संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों[८] के

[५] जनरल मीटिंग
[६] संस्था के सचिव तथा सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित
[७] अन्य किसी नाम से सम्बोधित किए जाने वाले जैसे - निदेशक, न्यासी, शासी-परिषद, इत्यादि
[८] यह नियम संयुक्त स्कन्ध (जॉएण्ट स्टॉक) कम्पनी के रूप में बनी संस्थाओं पर लागू नही होगा। वर्तमान परिवेश में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ केवल कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत ही बनाई जा सकती है। अतः यह प्रावधान प्रभावहीन हो गया है।

बीच वितरित नहीं की जा सकती। संस्था के विघटन के समय उपस्थित सदस्यों में से दो-तिहाई (६६ %) सदस्य बहुमत से इस सम्पत्ति[९] को किसी दूसरी संस्था या सरकार को देने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-१४ व १४ए)।

अन्य प्रावधान- एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त की जा सकती है (धारा-१९)।

सिक्किम

[संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६० (Societies Registration Act, 1860); राज्य द्वारा कोई संशोधन नहीं।]

पञ्जीकरण- पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने संगम-ज्ञापन तथा नियम-विनियम की प्रमाणित प्रतिलिपि (५० रुपये शुल्क के साथ) संयुक्त स्कन्ध कम्पनी के पञ्जिकाधिकारी[१०] के पास जमा करवानी होगी (धारा-३)।

परिवर्तन- आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महानिकाय के सदस्यों की दो गोष्ठियों का आयोजन एक माह के अन्तराल पर करना होगा। इस परिवर्तन को लागू करने के लिए कम से कम ३/५ (६० %) सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है (धारा-१२)।

शासी-निकाय की सदस्य सूची- यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महासभा होने के १४ दिनों के अन्दर पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। यदि महासभा नहीं होता, तो इस सूची को जनवरी में जमा करवाएँ (धारा-४)।

खाता सम्बन्धी प्रावधान- सिक्किम में खातों से सम्बन्धित कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

[९] सभी दायित्वो और ऋणों के भुगतान बाद के

[१०] हमें स्थान की जानकारी नहीं है।

विघटन- एक विशेष सभा में महानिकाय के कम से कम ३/५ (६० %) सदस्य संस्था को विघटित करने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-१३)। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, योगदान, या अभिरूचि है, अथवा सरकार संस्था से सम्बद्ध है तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

किन्तु, सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित कर सकती है, और ना ही संस्था को अपने अधिकार में कर सकती है।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा- विघटन के बाद संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों[११] के बीच वितरित नहीं की जा सकती। परन्तु, संस्था के विघटन के समय उपस्थित सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६० %) सदस्य इस सम्पत्ति[१२] को किसी दूसरी संस्था को देने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-१४)।

अन्य प्रावधान- एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त की जा सकती हैं (धारा-१९)।

तमिलनाडु

[तमिलनाडु संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १९७५ (Tamil Nadu Societies Registration Act, 1975)]

पञ्जीकरण- पञ्जीकरण उन संस्थाओं के लिए अनिवार्य है जिनके:-

- सदस्यों की संख्या २० या उससे अधिक है; या
- जिसकी कुल वार्षिक आय या व्यय दस हजार रुपये या उससे अधिक है।

धर्म, व्यायाम या क्रीड़ा के प्रसार के लिए बनाई गई संस्था का पञ्जीकरण करवाना ऐच्छिक है।

अन्य संस्थाएँ जो ऊपर लिखित जरुरत को पूरा नहीं करती, उनके लिए अपना पञ्जीकरण करवाना ऐच्छिक है, किन्तु उनके सदस्यों की संख्या कम से कम सात होनी चाहिऐ (धारा-५)।

पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने संगम-ज्ञापन तथा नियम-विनियम की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा

[११] यह नियम संयुक्त स्कन्ध (जॉएण्ट स्टॉक) कम्पनी के रूप में बनी संस्थाओं पर लागू नही होगा। वर्तमान परिवेश में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ केवल कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत ही बनाई जा सकती है। अतः यह प्रावधान प्रभावहीन हो गया है।

[१२] सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद

प्ररूप-१ में भर कर (१०० रुपये शुल्क के साथ) जमा करवानी होंगी (धारा-६)। इसके साथ सदस्यों की बही की एक प्रतिलिपि भी जमा करवानी चाहिए [नियम-१७(१)]। ये सारे प्रलेख जिले के संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी पड़ती है।

पञ्जीकरण के बाद पञ्जिकाधिकारी 'प्ररूप-२' में एक प्रमाणपत्र निर्गत करतें हैं (धारा-१०, नियम-८)। अगर पञ्जिकाधिकारी संस्था का पञ्जीकरण नहीं करे, तो उन्हें इसका लिखित कारण संस्था को देना आवश्यक है। (नियम-११)।

परिवर्तन- आप एक विशेष प्रस्ताव पारित कर संस्था के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद नाम में परिवर्तन के कारणों के साथ पञ्जिकाधिकारी को एक आवेदन देना होगा। यदि यह नाम किसी दूसरी संस्था के नाम के समान है, तो संस्था को अपने नाम में परिवर्तन करना अनिवार्य है। जब एक पञ्जीकृत संस्था अपना नाम बदलती है तो पञ्जिकाधिकारी नये नाम को पञ्जिका में लिख कर जरुरी परिवर्तन के साथ एक नया प्रमाणपत्र निर्गत करतें हैं (धारा-११, नियम-१२)।

शासी-निकाय की सदस्य सूची- प्रत्येक संस्था की अपने मामलों का प्रबन्धन करने के लिए एक समिति[१३] का गठन करना होगा। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष[१४] से अधिक नहीं होनी चाहिए। समिति में हुए किसी भी प्रकार के परिवर्तन को तीन माह के अन्दर पञ्जिकाधिकारी को 'प्ररूप-७' के अनुसार सूचित करना चाहिए [धारा-१५, नियम-१७(२)]।

खाता सम्बन्धी प्रावधान- प्रत्येक संस्था को एक रोकड़-बही[१५], प्राप्ति-बही, प्रमाणक[१६]-बही (वाउचर-फाइल), खाता-बही तथा मासिक प्राप्ति व भुगतान बही रखनी चाहिए (नियम-१८)। खातों में प्रविष्टियाँ अविलम्ब की जानी चाहिए (नियम-१६)।

बही-खातों का अंकेक्षण (ऑडिट) एक योग्य शासपत्रित लेखाकार (चार्टर्ड अकाउण्टैण्ट्स) से करानी चाहिए। परन्तु छोटी संस्थाओं[१७] के बही-खातों का अंकेक्षण संस्था द्वारा नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों द्वारा किया जा सकता है।

प्राप्ति व व्यय खाता, तुलन-पत्र तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि, महानिकाय के सदस्यों की सूची के साथ प्रति वर्ष पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। इन सबके साथ संस्था का इस वित्त वर्ष में कार्यरत रहे होने की एक घोषणा-पत्र भी जमा करवाना चाहिए।

विघटन- एक संस्था का किसी दूसरी संस्था के साथ विलय किया जा सकता है, या इसे दो या दो से अधिक संस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है। परन्तु इसके लिए विशेष प्रस्ताव तथा पञ्जिकाधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य है (धारा-३०)।

संस्था का विघटन स्वयं संस्था द्वारा या पञ्जिकाधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है। अगर संस्था स्वयं विघटन करने का निर्णय लेती है तो एक विशेष प्रस्ताव की जरुरत होती है (धारा-४१)। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, योगदान या अभिरूचि है, अथवा सरकार संस्था से सम्बद्ध है, तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

निम्नलिखित मामलों में भी पञ्जिकाधिकारी पञ्जीकरण निरस्त[१८] कर संस्था का विघटन कर सकतें हैं (धारा-३६, ३७, ३८, ३९, ४१, ४४):-

१ अधिनियम या नियम के किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन होने पर; या

२ संस्था के दिवालिया होने पर; या

३ व्यवसाय में कपटपूर्ण आचरण होने पर; या

४ संस्था के उद्देश्यों या उपविधियों के उल्लंघन होने पर; या

५ कोई अवैधानिक काम करने पर; या

६ संस्था के निष्क्रिय होने पर; या

[१३] कम से कम तीन सदस्यों की

[१४] सदस्यगण पुनः नियुक्ति के पात्र हैं।

[१५] जिनका सन्तुलन प्रतिदिन होना चाहिए।

[१६] श्रृंखलाबद्ध संख्या तथा कालक्रमानुसार बही होनी चाहिए।

[१७] गत तीन वर्षों के प्रत्येक आय व व्यय को दस हजार रुपये से कम होना चाहिए।

[१८] जाँच करने / संस्था को अपना पक्ष रखने का एक मौका देने के बाद।

७ निरन्तर तीन वित्तीय वर्ष तक वार्षिक खातों, आदि को जमा ना करवाने पर।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा- विघटन के समय किसी संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों[१६] के बीच वितरित नहीं की जा सकती।

किन्तु, विघटन के समय एक विशेष प्रस्ताव पारित कर सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद इस सम्पत्ति को किसी दूसरी संस्था को दिया जा सकता है (धारा-४२)।

अन्य प्रावधान- महानिकाय के सदस्यों में हुए किसी भी परिवर्तन को तीन माह के अन्दर 'प्ररूप-७' में पञ्जिकाधिकारी को सूचित करना चाहिए [नियम-१७(२)]। वार्षिक महासभा के छः माह के अन्दर संस्था के महानिकाय के सदस्यों के नाम, पता व व्यवसाय की एक सूची भी पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए [धारा-१६(३), नियम-२२]।

प्रत्येक विशेष प्रस्ताव[२०] की एक प्रतिलिपि तीन माह के अन्दर पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए (धारा-२७, नियम-२६)।

दस रुपये शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था द्वारा पञ्जिकाधिकारी के पास जमा कराऐ गये प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए पञ्जिकाधिकारी के पास अलग से एक लिखित आवेदन देना चाहिए (नियम-४२)।

संस्था द्वारा अपने अध्यक्ष या अन्य किसी पदाधिकारी को किसी भी सेवा के लिए कोई भी मानदेय या वेतन, इत्यादि का भुगतान नहीं किया जा सकता है [धारा- २५(३)]।

सम्बन्धित लेखा·योग -

०१: संस्था, न्यास या कम्पनी
६०: संस्थाओं का नियमन - आन्ध्र प्रदेश से दिल्ली तक
६२: पंजीकृत संस्था - १
७८: संस्थाओं का नियमन - गुजरात से जम्मू एवं कश्मीर तक
७९: संस्थाओं का नियमन - कर्नाटक से केरल तक
८०: संस्थाओं का नियमन - मध्य प्रदेश से मेघालय तक
८१: संस्थाओं का नियमन - मिज़ोरम से पंजाब तक
८३: संस्थाओं का नियमन - त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल तक

[१६] यह नियम संयुक्त स्कन्ध (जॉएण्ट स्टॉक) कम्पनी के रूप में बनी संस्थाओं पर लागू नही होगा। वर्तमान परिवेश में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ केवल कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत ही बनाई जा सकती है। अतः यह प्रावधान प्रभावहीन हो गया है।

[२०] किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित

लेखा·योग क्या है - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग की हिन्दी कैसी हो - इस विषय पर गहन सोच-विचार के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक सम्भव हो शुद्ध भाषा और वर्तनी (स्पैलिङ्ग) का प्रयोग किया जाये। अर्थात् अन्य भाषाओं से लिये शब्दों का प्रयोग कम-से-कम हो। हमारा मानना है कि इससे हमारी और पाठकों की भाषा-क्षमता का विकास होगा। इस सिद्धान्त को न मानने से आँग्ल (अँग्रेजी) भाषा की जो दुर्दशा हुई है वह सबको विदित है। आँग्ल भाषा में आलस्यवश (अथवा अज्ञानवश) अन्य भाषाओं से शब्द सीधे आयात कर लिये गये। इससे आँग्ल शब्दों की गणना में विस्तार तो हुआ परन्तु उनके अर्थ, उच्चारण और वर्तनी की जटिलतायें बढ़ती गयीं। इनको सुलझाने में रोमन लिपि के सीमित वर्णाक्षर (२६) सर्वथा असमर्थ रहे हैं। इसीलिये आँग्ल भाषा के लिये बड़े-बड़े शब्द-कोश बनाने पड़े हैं। सौभाग्य से हिन्दी अभी तक इन दोषों से सामान्यतः मुक्त रही है। आशा है कि हमारा यह क्षुद्र प्रयास हिन्दी की गरिमा बनाये रखने में किञ्चित् सहायक होगा।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग १२०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-ए, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८, २६३४ ६१११; प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ३८५२; ई-प्रेष - accountaid@vsnl.com

© AccountAid™ India मार्च २००३ ईस्वी; फाल्गुन विक्रम संवत् २०५९